विद्युत लोकपाल
मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग
पंचम तल, ''मेट्रो प्लाज़ा'', बिट्टन मार्केट, अरेरा कालोनी, भोपाल

प्रकरण क्रमांक L00-37/2017

मेसर्स मेहता स्टोन क्रेशर, — आवेदक
प्रोपा0 श्रीमती आशा मेहता,
40, महाश्वेता नगर, उज्जैन (म0प्र0) — 455010

विरूद्ध

प्रबंध संचालक, — अनावेदक
म.प्र. पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लि.,
जी0पी0एच0 कम्पाउण्ड, पोलोग्राउण्ड,
इंदौर (म.प्र.) — 452003

: पुनरीक्षित आदेश :

(दिनांक 24.06.2020 को पारित)

01. म0प्र0 पश्चिम क्षैत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड, इन्दौर (संक्षेप में — डिस्काम या म0प्र0प0क्षे0वि0वि0क0लि0) द्वारा अपीलीय प्रकरण क्रमांक L00-37/17 मेसर्स मेहता स्टोन क्रेशर उज्जैन प्राईवेट लिमिटेड विरूद्ध मुख्य अभियंता (वाणिज्य), म0प्र0प0क्षे0वि0वि0क0लि0 एवं दो अन्य में विद्युत लोकपाल के आदेश दिनांक 26.03.2018 के विरूद्ध मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण हेतु फोरम तथा विद्युत लोकपाल की स्थापना), विनियम 2009' {संक्षेप में — फोरम/विद्युत लोकपाल की स्थापना विनियम 2009} की कण्डिका 5.3 के अन्तर्गत माननीय म0प्र0 विद्युत नियामक आयोग (संक्षेप में — माननीय आयोग) को अपने पत्र क्र0 13530 दिनांक 05.07.2018 से प्रस्तुत आवेदन पर माननीय आयोग ने अपने आदेश दिनांक 01.08.2018 से विद्युत लोकपाल को प्रकरण में नई सुनवाई कर अपने आदेश दिनांक 26.03.2018 की समीक्षा करने हेतु निर्देशित किया है ।

02. (a) माननीय आयोग के उक्त आदेश दिनांक 01.08.2018 के अनुसार डिस्काम द्वारा आपने आवेदन में निम्नानुसार प्रस्तुतीकरण किया है :—

(i) The respondent is a HT consumer of MPPKVVCL having contract demand of 250 KVA. It applied for enhancement of contract demand from 250 KVA to 410 KVA vide application dated 05.03.2015. This was approved by MPPKVVCL vide letter dated 27.03.2015.

(ii) The consumer submitted application dated 08.04.2015 on 15.04.2015 for enhancing the contract demand up to 350 KVA in place of up to 410 KVA. MPPKVVCL issued amended approval letter dated 16.04.2015. Thereafter, Supplementary Agreement dated 27.04.2015 was executed.

(iii) The consumer by his application dated 13.05.2015 intimated MPPKVVCL that it had installed transformer of 500 KVA and made request to set maximum demand (MD). The MD of consumer's connection was set by MPPKVVCL on 13.05.2015 in the presence of consumer's representative Shri Siddhanath.

(iv) Later on it was detected that the consumer was billed at 250 KVA in place of 350 KVA from the period from 13.05.2015 to Jan 2017 due to non communication of above facts of increase of contract demand to the billing authority. On coming to know about the said deficit billing, MPPKVVCL vide letter dated 01.03.2017 raised supplementary bill/ demand of Rs. 19,02,991/- towards difference of billing on increased contract demand availed by the consumer.

(v) The consumer did not make payment of aforesaid demand of Rs. 19,02,991/- and challenged it before the ECGRF Indore (Forum) by filing case No. W.O. 377917.

(vi) The Forum by its order dated 07.10.2017 partly allowed the consumer's complaint by holding that the supplementary demand is payable by consumer. The Forum further directed that the supplementary bill may be paid in 12 installments by the consumer and surcharge may not be levied on such amount to be paid by the consumer.

(vii) The consumer filed appeal at the office of the Ombudsman. The Electricity Ombudsman by order dated 26.03.2018 has set aside the order of the Forum and also set aside the supplementary demand of Rs. 19,02,991/-. The Electricity Ombudsman further directed to grant adjustment of any amount paid against supplementary demand in the consumers subsequent bills.

(viii) MPPKVVCL has submitted that mere non-communication to the billing authority and escaping of correct billing from May' 2015 to Jan'2017 does not entitle the consumer

to claim any relaxation from billing in respect of minimum charges of the increased contract demand.

(ix) The consumer has completed all formalities, executed supplementary agreement and made payment of supply affording charges Rs. 75,000/- additional security deposit of Rs. 4,52,000/-. Hence the consumer should have paid minimum charges in respect of contract demand of 350 KVA which was got increased by the consumer itself.

(x) MPPKVVCL has prayed that the order dated 26.03.2018 passed by the Electricity Ombudsman may be set aside and the supplementary bill/ demand dated 01.03.2017 of Rs. 19,02,991/- for the period from May' 2015 to Jan' 2017 may be upheld.

(b) माननीय आयोग ने विद्युत लोकपाल के आदेश दिनांक 26.03.2018 में लोकपाल द्वारा निम्नानुसार निष्कर्ष प्राप्त कर निर्णय पारित किया जाना पाया है :–

'तथ्यों के आधार पर यह निष्कर्ष निकलता है :–

(i) *''आवेदक द्वारा विद्युत प्रदाय संहिता 2013 की कण्डिका 7.6 (B) में दिए गए प्रावधान के अनुसार आवेदक द्वारा अपने परिसर की स्थापना में परिवर्तन करने के संबंध में इलेक्ट्रिक इंस्पेक्टर से सर्टिफिकेट/परीक्षण रिपोर्ट नहीं दिया जबकि भार बढ़ाए जाने के लिए यह आवश्यक शर्त थी एवं अनावेदक को संविदा मांग बढ़ाए जाने की अनुमति देने से पहले इलेक्ट्रिक इंस्पेक्टर से सर्टिफिकेट/परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त करने के पश्चात् परिसर का निरीक्षण किया जाना था । उसके उपरांत ही एम.डी. रीसेट की जानी थी ।*

(ii) *आवेदक द्वारा मई 2015 से जनवरी 2017 की अवधि में अपनी संविदा मांग 250 केवीए से अधिक का उपयोग नहीं किया ।*

(iii) *अनावेदक एवं आवेदक के मध्य संपादित हुए अनुबधं जिसमें की अनुबधं प्रभावशील होने के संबंध में शर्त लिखी गई है, जिसके अनुसार अनावेदक को 30 दिन का नोटिस आवेदक को देना था तथा नोटिस समाप्त होने की अवधि की तारीख से अनुबंध प्रभावशील होता अथवा नोटिस की अवधि में यदि आवेदक द्वारा नई संविदा भार के अनुसार विद्युत का उपयोग किए जाने की सूचना देता है तब उस तिथि से अनुबंध प्रभावशील होना था, परन्तु अनावेदक द्वारा 13.05.2015 को एम.डी. रीसेट करने की सूचना ना तो आवेदक को और ना ही संबंधित अधिकारी जो कि उच्च दाब कनेक्शन के बिलिंग के लिए जिम्मेंदार हैं, को दी जिसके कारण वह बढ़ी हुई एमडी के न्यूनतम चाजेंर्ज के बिलिंग प्रारंभ नहीं कर सकें और ना ही आवेदक बढ़ी हुई*

संविदा भार के अनुरूप विद्युत का उपयोग कर सके । अतः उपरोक्त से स्पष्ट है कि अनावेदक द्वारा आवेदक को मीटर की एमडी रीसेट करके अनुबंध की शर्त के अनुसार 30 दिन का नोटिस नहीं दिया गया और ना ही संबंधित अधिकारी को सूचित किया जो कि अनुज्ञप्तिधारी के स्तर से लापरवाही दर्शाता है ।

(iv) चूंकि आवेदक को नोटिस नहीं प्राप्त होने पर वे 350 केवीए संविदा भार के अनुसार विद्युत का उपयोग नहीं कर सके, इसलिए उनके विरूद्ध मई 2015 से जनवरी 2017 तक की अवधि के लिए की गई अतिरिक्त बिलिंग न्यायोचित नहीं है एवं नैसर्गिक न्याय के भी विपरीत है, जिसे निरस्त किया जाना उचित होगा ।

अतः आदेशित किया जाता है कि :–

(i) आवेदक के विरूद्ध मई 2015 से जनवरी 2017 तक की अवधि में की गई अतिरिक्त पूरक बिलिंग को निरस्त किया जाए एवं इसके विरूद्ध आवेदक द्वारा जमा की गई राशि उन्हें अगले मासिक नियमित विद्युत देयकों में समायोजित की जाए ।

(ii) फोरम का आदेश अपास्त किया जाता है ।''

(c) प्रकरण में माननीय आयोग ने निम्न टिप्पणियाँ की है :–

(i) Regulations 4.57 (for new connection) and 7.7 of the M.P. Electricity Supply Code, 2013 provide as under:

"4.57 After the payment of charges including security deposit, cost of extension, if any, and execution of the agreement, the licensee shall take up the work of extension of mains. If the consumer wishes, he may execute the job on his own through an appropriate class licensed contractor within stipulated time. The licensee shall issue 3 months' notice of availability of supply immediately after installation of meter/ metering equipment. The consumer shall furnish to the licensee the permission from the Electrical Inspector to energize the installation. In case of mines, the permission from the Inspector of Mines shall have to be furnished. On receipt of the required permission(s), the licensee shall seal the meter after due testing in the presence of the consumer and serve the connection."

"7.7 If no addition or alteration to the system including new/alternate metering arrangement is required, the enhanced load will be released immediately after completion of the requisite formalities. If the system needs any alteration or addition, the procedure as given for a new connection shall be followed."

In the instant case, there was no such requirement of addition or alteration to the system and to install new meter/ metering equipment. Hence, the notice for availability of supply was not required to be issued by the licensee.

(ii) The issue considered by the Electricity Ombudsman regarding non-use of enhanced load is not relevant as the consumer is liable for tariff minimum for the contract demand as per agreement executed by them.

(iii) The consumer himself has applied for enhancing the contract demand from 250 KVA to 350 KVA on 08.04.2015 and has signed supplementary agreement dated 27.04.2015. The consumer completed all formalities and deposited supply affording charges and additional security deposit for enhancement of C.D. from 250 KVA to 350 KVA.

(iv) The consumer vide letter dated 13.05.2015 made request to set maximum demand (MD) and MPPKVVCL claims to have done it on the same day in presence of consumer's representative. So the consumer is liable to pay the bills raised in accordance with the prevalent tariff orders.

03. प्रकरण में प्रथम सुनवाई दिनांक 04.10.2018 को नियत की जाकर उभयपक्ष को नोटिस जारी किए गए। तत्कालीन समय नियमित विद्युत लोकपाल की नियुक्ति न होने के कारण प्रभारी विद्युत लोकपाल द्वारा नियमित विद्युत लोकपाल की पदस्थापना की प्रत्याशा में प्रकरण में सुनवाई न की जाकर सुनवाई आगे बढ़ाई जाती रही। अन्ततः माह अप्रैल 2019 में नियमित विद्युत लोकपाल के पदग्रहण करने के पश्चात प्रकरण की सुनवाई दिनांक 26.04.2019 को नियत थी। चूंकि इस दिनांक को समस्त लंबित प्रकरण की सुनवाई एक ही दिन नियत की गई थी जो कि व्यावहारिक दृष्टि से संभव नहीं था, अतः सभी प्रकरणों की सुनवाई पुनर्निर्धारित (Re-schedule) की गई । इस प्रकार प्रकरण में प्रारंभिक सुनवाई दिनांक 16.05.2019 को आयोजित की गई । तत्पश्चात् प्रकरण में नई सुनवाईयां आयोजित की गई, जिनमें आवेदक की ओर से उनके अधिकृत अधिवक्ता श्री संदीप मेहता तथा अनावेदक की ओर से उनके अधिवक्ता श्री धीरज सिंह पंवार

तथा श्री विनित ठाकुर, सहायक इंजीनियर उपस्थित हुए और अपने अपने पक्ष में लिखित/मौखिक कथन एवं साक्ष्य प्रस्तुत किए गए ।

04. इन सुनवाईयों में आवेदक की ओर से लोकपाल के आदेश दिनांक 26.03.2018 को यथावत् रखे जाने के लिए मुख्य रूप से निम्न तर्क प्रस्तुत किए गए :–

(i) तय वैधानिक स्थिति के अनुसार समीक्षा कार्यवाहियों में न्यायालयों का काफी सीमित क्षैत्र है । माननीय विद्युत लोकपाल द्वारा अंतिम रूप से तथ्य प्राप्त कर लिए हैं और समीक्षा कार्यवाहियों में प्राप्त किए गए तथ्य से छेड़छाड़ नहीं की जा सकती है । चूंकि उभयपक्षों द्वारा कोई नया आधार प्रतिपादित नहीं किया गया है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण में न्यायिक निर्णय के लिए कोई बिन्दु नहीं है ।

(ii) घटनाक्रम से यह स्पष्ट है कि उभयपक्षों के बीच दिनांक 27.04.2015 को प्रथम पूरक अनुबंध निष्पादित हुआ था । इस अनुबंध में यह स्पष्ट रूप से उल्लेखित है कि यह अनुबंध उस दिनांक से प्रभावशील होगा जब कुछ विशिष्ट शर्तों का पालन कर लिया गया हो । इस अनुबंध की विशिष्ट शर्त के अनुसार अनावेदक कम्पनी के क्षैत्रीय कार्यपालन यंत्री द्वारा आवेदक को न्यूनतम 30 दिन की अवधि का लिखित अग्रिम नोटिस दिया जाकर उसमें सूचित दिनांक से या ऐसा नोटिस जारी होने के बाद उपभोक्ता द्वारा लिखित में सूचित की गई दिनांक से, इनमें से जो भी पहले हो, से प्रभावशील होगा किन्तु ऐसा कोई लिखित नोटिस अनावेदक द्वारा आवेदक को नहीं दिया गया था । माननीय विद्युत लोकपाल ने भी यह निष्कर्ष प्राप्त किया है कि अनावेदक ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सके जिससे यह साबित हो कि उक्त अनुबंध में वर्णित पूर्ववर्ती शर्त के परिपालन में ऐसा कोई नोटिस आवेदक को भेजा गया था । माननीय विद्युत लोकपाल ने उभयपक्षों के मध्य निष्पादित हुए अनुबंध की शर्तों की उचित रूप से व्याख्या की है । प्रश्नाधीन प्रकरण अनावेदक द्वारा अनुबंध के उल्लंघन से संबंधित है। चूंकि अनुबंध प्रभावशील नहीं हुआ, अतः आवेदक टैरिफ के न्युनतम प्रभार का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं है । एक पक्ष के एकतरफा कृत्य को दूसरे पक्ष पर नहीं थोपा जा सकता इसलिए आवेदक उच्चतर संविदा मांग, जिसका अनुपूरक अनुबंध प्रभावशील ही नहीं हुआ, के न्यूनतम प्रभार का भुगतान करने के लिए जिम्मेंदार नहीं है । यह स्वीकार है कि इस संबंध में उनके द्वारा अनावेदक कंपनी के अधिकारियों से कोई लिखित पत्राचार नहीं किया गया ।

(iii) अनावेदक के इस तर्क कि आवेदक द्वारा स्वयं अपनी संविदा मांग 350 के0व्ही0ए0 मानते हुए मार्च 2017 में इसको कम कर 190 के0व्ही0ए0 करने हेतु आवेदन दिए जाने के संबंध में कथन है कि 1 मार्च 2017 को अनावेदक से 350 के0व्ही0ए0 संविदा मांग के लिए प्रश्नाधीन विवादित पूरक बिल प्राप्त होने पर इस पुरक बिल के विरोध के साथ साथ ही यह आवश्यक था कि न्युनतम प्रभारों की आगे की बिलिंग 350 के0व्ही0ए0 संविदा मांग के आधार पर न हो इसलिए तत्काल संविदा मांग में कमी हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया था। विवादित उच्चतर संविदा मांग पर आगे की बिलिंग को रोकने के लिए आवेदक को अपनी वर्तमान संविदा मांग 350 के0व्ही0ए0 दर्शाते हुए इस संविदा मांग को कम कर 190 के0व्ही0ए0 किए जाने का आवेदन देना पड़ा, क्योंकि इसके अलावा संविदा मांग कम करवाने का कोई अन्य विकल्प आवेदक के समक्ष उपलब्ध नहीं था । स्पष्टतः परिस्थितिजन्य विवशता के कारण दिए गए ऐसे आवेदन को आधार बनाकर यह मानना कि आवेदक ने स्वयं अपनी संविदा मांग 350 के0व्ही0ए0 मान्य की है किसी भी विधान के अन्तर्गत उचित नहीं ठहराया जा सकता है ।

(iv) चूंकि वर्तमान प्रकरण में आवेदक द्वारा म0प्र0 विद्युत प्रदाय संहिता 2013 की कण्डिका 7.6 (अ) एवं 7.6 (ब) में प्रावधानित अनिवार्य औपचारिकताएं पूर्ण नहीं की थी, इसलिए माननीय विद्युत लोकपाल द्वारा दिए गए आदेश को बरकरार रखा जाना सही होगा।

05. अनावेदक की ओर से विद्युत लोकपाल के आदेश दिनांक 26.03.2018 को निरस्त किए जाने तथा फोरम के आदेश दिनांक 07.10.2017 की पुष्टि करने के संबंध में मुख्य रूप से निम्न तर्क प्रस्तुत किए गए ।

(a) Because no notice or intimation to the consumer was required as the consumer itself has intimated by letter dated 13-05-2015 that transformer of 500 KVA has been installed and requested to provide supply of increased contract demand.

(b) Because, more non-communication to the billing authority and escaping of correct billing from May' 2015 to Jan' 2017 does not entitle the respondent consumer to claim any relaxation from billing in respect of minimum charges of the increased contract demand.

(c) Because, once contract demand is increased the consumer is liable to make payment of minimum charges for the same as prescribed in the relevant applicable tariff order.

(d) Because, the consumer himself has intimated for supplying increased contract demand by letter dated 13.05.2015.

(e) Because, it is admitted fact that the consumer has submitted application dated 14.03.2017 for reduction of contract demand form 350 KVA to 190 KVA thus consumer knew and admitted that it was availing contract demand of 350 KVA.

(f) Because the MPPKVVCL has given notice dated 29.04.2015 annexed as Annexure R-25 regarding increased contract demand made available as per agreement dated 27.04.2015 and in this context the consumer had requested to reset MD which was done on 13.05.2015 in presence of consumer representative.

(g) Because, the consumer has completed all formalities, executed supplementary agreement and made payment of supply affording charges Rs. 75,000/- additional security deposit of Rs. 4,52,000/- and would not be expected to remain silent when the bill of increased contract demand was not being issued.

(h) Because, the principle of equity required that the consumer should have paid minimum charges in respect of contract demand of 350 KVA which was got increased by the consumer itself.

(i) Because, the supplementary demand is supported by documents, Statutory Provisions and there is not legal impediment in recovering the same.

(j) Because, impugned order of the Electricity Forum is liable to be confirmed keeping in view the observations made by the MPERC in its order dated 01.08.2018 as under :-

> "In the instant case, there was no such requirement of addition or alteration to the system and to install new meter/metering equipment. Hence, the notice for availability of supply was not required to be issued by the licensee.
>
> ii) The issue considered by the Electricity Ombudsman regarding non-use of enhanced load is not relevant as the consumer is liable for tariff minimum for the contract demand as per agreement executed by them.

iii) The consumer himself has applied for enhancing the contract demand from 250 KVA to 350 KVA on 08.04.2015 and has signed supplementary agreement dated 27.04.2015. The consumer completed all formalities and deposited supply affording charges and additional security deposit for enhancement of C.D. from 250 KVA to 350 KVA.

iv) The consumer vide letter dated 13.05.2015 made request to set maximum demand (MD) and MPPKVVCL claims to have done it on the same day in presence of consumer's representative. So the consumer is liable to pay the bills raised in accordance with the prevalent tariff orders."

अनावेदक अधिवक्ता की ओर से कथन किया गया कि विद्युत लोकपाल द्वारा आदेश पारित करने में निम्नलिखित तथ्यों का संज्ञान नहीं लिए जाने की भूल की है जिससे पारित आदेश में स्पष्ट वैधानिक त्रुटि उत्पन्न हुई और इस आधार पर यह आदेश निरस्त कर फोरम का आदेश दिनांक 07.10.2017 यथावत् रखा जाना चाहिए ।

(1) माननीय विद्युत लोकपाल द्वारा पारित आदेश में उल्लेखित है कि अनावेदक द्वारा आवेदक को उनके मध्य स्वीकृत अतिरिक्त संविदा मांग के निष्पादित पूरक अनुबंध दिनांक 27.04.2015 के अनुसार अनावेदक को विद्युत उपलब्धता का 30 दिन अवधि का एक अग्रिम नोटिस आवेदक को देना था तथा नोटिस अवधि समाप्त होने की दिनांक से अथवा नोटिस की अवधि में यदि आवेदक द्वारा नई संविदा मांग के अनुसार विद्युत का उपयोग किए जाने की सूचना देता है तब उस दिनांक से अनुबंध प्रभावशीन होना था । इस संबंध में कथन है कि माननीय लोकपाल ने आदेश पारित करते समय इस तथ्य का संज्ञान नहीं लिया कि चूंकि आवेदक उपभोक्ता ने स्वयं 13 मई 2015 को पत्र प्रस्तुत कर एम.डी. रीसेट करने के लिए निवेदन किया था, अतः अनावेदक द्वारा विद्युत प्रदाय उपलब्धता का नोटिस जारी किए जाने की आवश्यकता नहीं थी । आवेदक उपभोक्ता के इस पत्र दिनांक 13.05.2015 को संज्ञान में लिया जावे, जिसकी प्रतिलिपि पिछली सुनवाई में प्रस्तुत लिखित अभ्यावेदन के साथ एनेक्जर – 10 के रूप में संलग्न है ।

(2) माननीय विद्युत लोकपाल के आदेश में लिखित तथ्य कि दिनांक 13.05.2015 को आवेदक की एम.डी. रीसेट किए जाने की सूचना न तो आवेदक न ही संबंधित अधिकारी जो कि उच्च दाब कनेक्शन की बिलिंग के लिए जिम्मेंदार हैं, को दी गई जिससे वह बढ़ी हुई एम.डी. रीसेट के न्यूनतम चार्जेंज की बिलिंग प्रारंभ नहीं कर सके और न ही आवेदक

बढ़ी हुई संविदा भार के अनुरूप विद्युत का उपयोग कर सका, के संबंध में कथन है कि स्वयं आवेदक के लिखित आवेदन दिनांक 13.05.2015 पर अनावेदक ने उसी दिन आवेदक के प्रतिनिधि श्री सिद्धनाथ की उपस्थिति में एम.डी. रीसेट कर दी थी, जिसके परिणामस्वरूप एम.डी. रीसेट की रिपोर्ट पर उनके हस्ताक्षर मौजूद हैं । इससे एम.डी. रीसेट रिपोर्ट की एक छायाप्रति पिछली सुनवाई में प्रस्तुत लिखित अभ्यावेदन के साथ एनेक्जर आर – 11 के रूप में संलग्न की गई है । चूंकि आवेदक प्रतिनिधि की उपस्थिति में एम. डी. रीसेट की गई थी, अतः पृथक से इसकी सूचना आवेदक को नहीं दी गई । माननीय विद्युत लोकपाल ने इस तथ्य को अनदेखा करते हुए एम.डी. रीसेट होने की जानकारी आवेदक को नहीं होना मानने की भूल की है ।

(3) जहां तक पूरक अनुबंध की शर्त के अनुसार आवेदक को विद्युत प्रदाय उपलब्धता का 30 दिवस का लिखित अग्रिम नोटिस दिए जाने का प्रश्न है, के संबंध में कथन है कि आवेदक को यह नोटिस अनावेदक के पत्र क्रमांक 4018–19 दिनांक 29.04.2015 से दिया गया था । माननीय विद्युत लोकपाल द्वारा इस तथ्य की अनदेखी कर यह मान लिए जाने की भूल की है कि आवेदक को आवश्यक विद्युत प्रदाय उपलब्धता का नोटिस जारी नहीं किया गया है ।

(4) अतिरिक्त संविदा मांग के लिए प्रश्नाधीन अवधि मई 2015 से जनवरी 2017 तक की पूरक बिलिंग उभयपक्षों द्वारा संपादित पूरक अनुबंध दिनांक 27.04.2015 के अनुसार की गई है जो पूरी तरह से उभयपक्षों पर बंधनकारी है । इस अनुबंध के आधार पर की गई पूरक बिलिंग का भुगतान करने के लिए आवेदक पूर्णतः/हर प्रकार से बाध्य है ।

06. उभयपक्षों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य एवं कथनों से यह स्पष्ट है कि प्रश्नाधीन वाद विषय वस्तु स्थापित विधि एवं लागू नियमों के अंतर्गत अतिरिक्त संविदा मांग स्वीकृति पश्चात् आवेदक उपभोक्ता द्वारा अनिवार्य औपचारिकताएं पूर्ण करने, अनुपुरक अनुबंध निष्पादन करने, अनुज्ञप्तिधारी के अनावेदक अधिकारी द्वारा स्वीकृत संविदा मांग वृद्धि को स्वीकार करने तथा इसकी बिलिंग से संबंधित है । अतः इस विषय वस्तु से संबंधित स्थापित विधि एवं नियमों के आधार पर प्रकरण की विवेचना में विद्युत कनेक्शनों की संविदा मांग में वृद्धि की स्वीकृति तथा इसको स्वीकार किए जाने (Sanction and releare) तथा अनुबंध निष्पादन (Agseement Finalization) के लिए **म0प्र0 विद्युत प्रदाय संहिता 2013 संक्षेप में संहिता के अध्याय – 7; संविदा मांग एवं अनुबंध** के **खण्ड–संविदा मांग/संयोजित भार में वृद्धि के संबंध में प्रक्रियां (Procedure for Enhancement of Contract**

Demand Konnected Load)'' की **कण्डिका 7.3, 7.4, 7.5, 7.6 एवं 7.7 में तथा** इसी **अध्याय – 7** के **खण्ड–अनुबंध** की **कण्डिका 7.17** जो निम्नानुसार उद्धृत हैं, का अवलोकन किया गया :–

अध्याय – 7, संविदा मांग तथा अनुबंध

संविदा मांग/संयोजित भार में वृद्धि के संबंध में प्रक्रियां –

7.3 *विद्युत भार में वृद्धि के लिये आवेदन दो प्रतियों में तथा निर्धारित प्ररूप में (परिशिष्ट 1 तथा 2) अनुज्ञप्तिधारी के कार्यालय में मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (विद्युत प्रदाय के प्रयोजन से विद्युत लाईन प्रदाय करने अथवा उपयोग किये गये संयन्त्र हेतु व्ययों तथा अन्य प्रभारों की वसूली) (पुनरीक्षण प्रथम) विनियम, 2009 में विनिर्दिष्ट पंजीकरण शुल्क की राशि के साथ जमा किये जाएंगे ।*

7.4 *तीस दिवस के भीतर, अनुज्ञप्तिधारी बढ़े हुए भार के लिये विद्युत प्रदाय की साध्यता का परीक्षण करेगा एवम् उपभोक्ता को निम्नानुसार सूचित करेगा :*

(अ) *कि क्या अतिरिक्त विद्युत मात्रा की मांग विद्यमान वोल्ट्ेज स्तर पर या फिर इससे अधिक वोल्ट्ेज स्तर पर प्रदाय की जा सकती है ?*

(ब) *प्रणाली में परिवर्धन या परिवर्तन, यदि कोई हो, जिनका क्रियान्वयन आवश्यक हो तो उपभोक्ता द्वारा इसके लिये वहन की जाने वाली राशि की जानकारी ।*

(स) *अतिरिक्त प्रतिभूति निक्षेप, अतिरिक्त अधोसंरचना की लागत तथा प्रणाली सुदृढ़ीकरण प्रभार (System Strengthening Charges) या क्षमता निर्माण प्रभार (Capacity Building Charges) की राशि यदि कोई हों, जिन्हें उसे जमा करना होगा।*

(द) *उपभोक्ता के वर्गीकरण में परिवर्तन, यदि ऐसा किया जाना आवश्यक हो ।*

7.5 *यदि उपभोक्ता पर अनुज्ञप्तिधारी को किये जाने वाले भुगतान की राशि बकाया हो तो संविदा मांग में वृद्धि हेतु उसका आवेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा ।*

तथापि, यदि किसी न्यायालय द्वारा उपभोक्ता पर बकाया राशि के भुगतान पर स्थगन आदेश जारी किया गया हो, तो आवेदन स्वीकार किया जा सकता है ।

7.6 *यदि बढ़े हुए भार का विद्युत पद्र ाय किया जाना साध्य पाया जाता है तो उपभोक्ता :*

(अ) *जहां स्थापना में परिवर्तन किया जाना सन्निहित हो, वहां वह अनुज्ञप्तिधारक विद्युत ठेकेदार द्वारा किये गये कार्य के पूर्ण होने का प्रमाण–पत्र (completion certificate) तथा परीक्षण प्रतिवेदन (test report) प्रस्तुत करेगा।*

(ब) *यदि आवश्यक हो तो वह उच्चदाब/अति उच्चदाब संयोजन के प्रकरण में विद्युत स्थापना हेतु विद्युत निरीक्षक का अनुमोदन–पत्र (letter of approval) प्रस्तुत करेगा। इसी प्रकार, खदानों की विद्युत स्थापना में अतिरिक्त भार हेतु खदान निरीक्षक का अनुमोदन–पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा ।*

(स) *अतिरिक्त प्रतिभूति निक्षेप, प्रणाली में आवश्यक परिवर्धन तथा परिवर्तन (addition and alteration) की लागत, यदि लागू हो, तथा अन्य प्रयोज्य प्रभारों का भुगतान करेगा ।*

(द) *एक अनुपूरक अनुबंध (Supplementary Agreement) निष्पादित करेगा।*

(ई) *..... (यह कण्डिका केवल निम्नदाब उपभोक्ता से संबंधित है और प्रश्नाधीन प्रकरण उच्चदाब कनेक्शन का होने से, यह कण्डिका प्रकरण पर लागू नहीं है।) .....*

7.7 *नवीन/वैकल्पिक मापयन्त्र व्यवस्था सहित यदि प्रणाली में कोई परिवर्धन या परिवर्तन किया जाना आवश्यक न हो तो बढ़ा हुआ भार, आवश्यक औपचारिकताओं के पूर्ण हो जाने के बाद तत्काल स्वीकार किया जायेगा। यदि प्रणाली में किसी परिवर्तन अथवा परिवर्धन की आवश्यकता हो तो नवीन कनेक्शन हेतु निर्धारित प्रक्रिया का अनुसरण किया जायेगा।*

अनुबन्ध (Agreement)

7.17 *आवेदक द्वारा एक मानक प्ररूप (standard format) में निर्दिष्ट मूल्य के स्टाम्प–पत्र (stamp paper) पर नवीन संयोजन की प्राप्ति हेतु तथा संविदा मांग में परिवर्तन या मानदण्डों (parameters) के संबंध में अन्य किसी सहमत किये गये परिवर्तन के लिये अनुबंध निष्पादित किया जायेगा । किन्हीं विशिष्ट परिस्थितियों में, उपभोक्ता एवं अनुज्ञप्तिधारी दोनों की सहमति से, अनुबन्ध में कुछ विशिष्ट खण्डों (clauses) को जोड़ा जा सकेगा यदि उक्त खण्ड विद्युत अधिनियम 2003, (क्रमांक 36, वर्ष 2003) एवं प्रभावशील अन्य नियम व शर्तों के प्रतिकूल न हों । ये विशिष्ट खण्ड अनुबन्ध का भाग होंगे । समस्त औपचारिकताएं पूर्ण किये जाने के पश्चात निष्पादित किये गये अनुबन्ध की एक प्रति उपभोक्ता को प्रदान की जायेगी । उपभोक्ता द्वारा विद्युत प्रदाय आवेदन के साथ जमा किया गया ले–आऊट या विन्यास (मानचित्र) जिस पर उपभोक्ता एवम् अनुज्ञप्तिधारी की सहमति एवं हस्ताक्षर हो, अनुबन्ध का भाग होगा।*

संहिता की उक्त कण्डिकाओं में किए गए प्रावधानों का सुक्ष्म एवं सावधानीपूर्वक अध्ययन कर इनके प्रकाश में आवेदक की अपील में प्रस्तुत तथ्यों तथा उभयपक्षों द्वारा विभिन्न सुनवाईयों में प्रस्तुत कथनों/साक्ष्यों के आधार पर प्रकरण की निम्नानुसार विस्तृत विवेचना की गई :–

i) भार वृद्धि (उच्चदाब विद्युत कनेक्शन के संदर्भ में संविदा मांग में वृद्धि) के लिए उपभोक्ता से निर्धारित प्रारूप में तथा निर्धारित पंजीकरण शुल्क तथा संहिता की कण्डिका 7.5 की तुष्टि के साथ आवेदन प्राप्त होने पर आवेदित भार वृद्धि साध्य पाए जाने पर अनुज्ञप्तिधारी द्वारा संहिता की कण्डिका 7.4 (अ) से (द) में प्रावधानित विवरणों के साथ भार वृद्धि की स्वीकृति उपभोक्ता को सूचित करेगा ।

आवेदक उपभोक्ता से अपने उच्चदाब कनेक्शन की विद्यमान संविदा मांग 250 के.व्ही.ए. से बढ़ाकर 350 के.व्ही.ए. किए जाने के लिखित आवेदन दिनांक 05.03.2015 प्राप्त होने पर अनावेदक द्वारा उक्त प्रावधानों के अनुसार अपने पत्र क्र0 2896 दिनांक 27.03.2015 से संविदा मांग में आवेदित वृद्धि की स्वीकृति प्रदान की गई । स्वीकृति पत्र में इस भार वृद्धि के लिए अनावेदक की प्रणाली में कोई परिवर्तन/परिवर्धन सहित विद्यमान मीटरींग के स्थान पर कोई नई/वैकल्पिक मीटरींग की व्यवस्था किया जाना सूचित नहीं था और आवेदक उच्चदाब उपभोक्ता को स्वीकृति पत्र की दिनांक से एक माह में स्वीकृति पत्र में वर्णित अतिरिक्त सुरक्षा निधि की राशि का भुगतान और अनुपूरक अनुबंध निष्पादित करना था । इस स्वीकृत पत्र में स्पष्ट रूप से उल्लेखित है कि आवेदक उपभोक्ता द्वारा पत्र की दिनांक से 1 माह की अवधि में आवश्यक औपचारिकताएं पूर्ण न किए जाने पर स्वीकृत अतिरिक्त संविदा मांग रद्द कर दी जावेगी । इसके साथ ही इसमें यह भी विशेष रूप से उल्लेखित है कि औपचारिकताएं पूर्ण करने और अनुपूरक अनुबंध के Finalization के पश्चात् कार्यपालन यंत्री (संधा./संचा.) उज्जैन द्वारा 30 दिवस की अवधि का एक लिखित अग्रिम नोटिस आवेदक को दिया जावेगा तथा उसमें सूचित दिनांक से या ऐसा नोटिस जारी करने के पश्चात् उपभोक्ता द्वारा लिखित में सूचित की जाने वाली दिनांक से संविदा मांग में वृद्धि प्रभावी की जावेगी ।

ii) कण्डिका 7.7 में किए गए प्रावधान अनुसार नवीन/वैकल्पिक मापयंत्र की व्यवस्था (Metering anauguent) संहिता अनुज्ञप्तिधारी की प्रणाली में कोई परिवर्धन या परिवर्तन (addition or alteration) की आवश्यकता न होने पर, जैसी की वर्तमान प्रकरण की स्थिति है, आवश्यक औपचारिकताएं उपभोक्ता द्वारा पूर्ण करने के तत्काल बाद स्वीकृत भार वृद्धि स्वीकार की जावेगी । इस संबंध में जहां तक आवेदक उपभोक्ता द्वारा की जाने वाली औपचारिकताओं का प्रश्न है, इनका विवरण संहिता की कण्डिका 7.6 (अ), (ब), (स) एवं (द) दर्शित है । आवेदक ने

कथन कर तर्क प्रस्तुत किया है कि उनके द्वारा से सभी अनिवार्य औपचारिकताएं पूर्ण नहीं की गई थी अतः म0प्र0 विद्युत प्रदाय संहिता 2013 की धारा 7.6 (अ) एवं (ब) के अनिवार्य प्रावधानों का पालन नहीं होने से अनावेदक द्वारा की गई मांग Null & Void (अकृत एवं शून्य) हो जाती है । अनावेदक अधिवक्ता ने भी स्वयं दिनांक 26.07.2019 की सुनवाई में कथन कर स्वीकार किया है कि संहिता की कण्डिका 7.6 (अ) एवं 7.6 (ब) में वर्णित अनिवार्य औपचारिकताएं आवेदक द्वारा पूर्ण नहीं की गई हैं । ऐसी स्थिति में अनावेदक के समक्ष लागू नियमों के अनुसार केवल दो ही विकल्प थे, कि या तो वे आवेदक से शेष अनिवार्य औपचारिकताएं पूर्ण करवाते करते अथवा स्वीकृति पत्र क्र0 3566–67 दिनांक 16.04.2015 में निर्धारित एक माह की समयावधि में आवेदक द्वारा औपचारिकताएं पूर्ण न करने पर प्रदान की गई संविदा मांग में अतिरिक्त वृद्धि की प्रदान की गई स्वीकृति निरस्त करते । किन्तु इसके विपरीत आवेदक की ओर से आवश्यक अनिवार्य औपचारिकताएं अपूर्ण रहने पर भी अनावेदक ने लागू नियमों के विरूद्ध जाकर आवेदक के मीटर की एम0डी0 कथित रूप से रिसेट कर जिसका प्रकरण के तथ्यों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, संविदा मांग वृद्धि जारी कर दी गई । एम0डी0 रिसेट किए जाने की वास्तविकता के संबंध में आवेदक और अनावेदक द्वारा दिए गए तर्कों की यहां विवेचना आवश्यक नहीं हैं, क्योंकि की गई उक्त विवेचना के अनुसार कथित एम डी रीसेटिंग का प्रकरण के तथ्यों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है ।

iii) खण्ड – अनुबंध की कण्डिका 7.17 में प्रावधानित है कि;

(अ) ''उपभोक्ता एवं अनुज्ञप्तिधारी दोनों की सहमति से, अनुबंध में कुछ विशिष्ट खण्डों (Clauses) को जोड़ा जा सकेगा यदि ऐसे खण्ड विद्युत अधिनियम (क्रमांक 36, वर्ष 2003) एवं प्रभावशील अन्य नियम व शर्तों के प्रतिकूल न हों । ये विशिष्ट खण्ड अनुबंध का एक भाग होंगे ।''

चूंकि प्रकरण में अनुपूरक अनुबंध उभयपक्षों द्वारा हस्ताक्षरित होकर निष्पादित किया गया है अतः यह स्वतः सिद्ध है कि इसका प्रत्येक खण्ड आपसी सहमति से अनुबंध में प्रावधानित किया गया है । इस अनुपूरक अनुबंध में मूल अनुबंध के खण्ड 1(a) को निम्नानुसार नवीन उपखण्ड 1(a) से बदला गया है :–

> ''Clause 1(a) subject to the provisions hereinafter contained and during the continuance of this agreement the Company shall supply to the consumer and the consumer shall take from the Company all such electrical energy as the consumer shall require for the purpose of his own use and for the above mentioned purpose at his premises referred to above up to a maximum of :-
>
> (250 KVA) : w.e.f. 01.10.2014 at 33 KV
> (Two hundred fifty only)

(250 KVA) (Three hundred fifty only)	: w.e.f. date which shall be intimated by the West Discom E.E. of the area by giving at least 30 days advance notice in writing or from a date after issue of said notice to be intimated by the consumer in writing whichever is earlier. "

इस खण्ड (Clause) का संहिता की कण्डिका 7.17 में किए गए प्रावधान के प्रकाश में अवलोकन करने पर यह विद्युत अधिनियम 2003 एवं प्रभावशील अन्य नियम एवं शर्तों पर प्रतिकूल प्रभाव रखने वाला नहीं पाया गया । अनावेदक की ओर से भी अनुपूरक अनुबंध के इस खण्ड विशेष का विद्युत अधिनियम 2003 एवं प्रभावशील अन्य नियम व शर्तों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने के आधार पर कण्डिका 7.17 के प्रावधान अनुसार इसके निष्प्रभावी हो जाने संबंधी कोई कथन या साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है, बल्कि अनावेदक अधिवक्ता ने कथन कर स्वीकार किया है कि अनुपूरक अनुबंध का प्रत्येक खण्ड (Clause) बिना किसी अपवाद के दोनों पक्षों पर बंधनकारी हैं । अतः कम से कम 30 दिन की अवधि का लिखित अग्रिम नोटिस अनावेदक की ओर से आवेदक को जारी करने के पश्चात् ही अनुपूरक अनुबंध को प्रभावशील किए जाने संबंधी इस खण्ड विशेष को निष्पादित अनुपूरक अनुबंध के एक भाग के रूप में मान्य किए जाने योग्य तथा उभयपक्षों पर बंधनकारी पाया जाता है और इसके अनिवार्य अनुपालन में अनुपूरक अनुबंध प्रभावशील करने के पूर्व अनावेदक कथित नोटिस आवेदक को जारी करने के लिए वैधानिक रूप से बाध्य पाया जाना है ।

(ब) ''उपभोक्ता द्वारा समस्त औपचारिकताएं पूर्ण किए जाने के पश्चात् निष्पादित किए गए अनुबध की एक प्रति उपभोक्ता को प्रदान की जावेगी ।''

यहां निष्पादित अनुबंध की प्रति उपभोक्ता को प्रदान करने का तात्पर्य अनुबंध को स्वीकार (Finalization) कर इसकी प्रति उपभोक्ता को प्रदान करने से है अर्थात् समस्त आवश्यक औपचारिकताएं उपभोक्ता द्वारा पूर्ण करने के पश्चात् ही अनावेदक द्वारा संविदा मांग में वृद्धि के लिए आवेदक द्वारा किया गया अनुपूरक अनुबंध स्वीकार (Finalize) किया जा सकता है, क्योंकि एक बार अनुबंध के Finalization के बाद इसकी प्रति उपभोक्ता को प्रदान नहीं किए जाने का कोई औचित्य या अर्थ नहीं रह जाता है । इसी संबंध में संहिता के परिशिष्ट – 2 में उच्चदाब विद्युत सेवा संयोजन हेतु निर्धारित आवेदन प्रारूप के अंत में दी गई टीप के सरल क्रमांक – 14, जो संहिता के प्रथम संशोधन की अधिसूचना दिनांक 23.10.2015 को जारी होने तक प्रभावी रहने से प्रश्नाधीन प्रकरण पर लागू है, का अवलोकन किया गया जो निम्नानुसार उद्‌धृत हैं :–

''परिशिष्ट – 2;

''टीप :– आवेदन के साथ निम्नलिखित अभिलेख संलग्न करें;

14. *''चालू टैरिफ आदेश के सुसंबद्ध उद्धरण की प्रतिलिपि जो उपभोक्ता द्वारा चयनित विद्युत–दर श्रेणी का विवरण दर्शाती हो, को यथाहस्ताक्षरित संलग्न किया जाए । औपचारिकताएं पूर्ण होने पर इसे अनुबंध का भाग मानते हुए अनुबंध के परिशिष्ट के रूप में संलग्न किया जाएगा ।''*

उक्त टीप के अवलोकन से भी यह स्पष्ट होता है कि औपचारिकताएं पूर्ण होने के पश्चात ही संबंधित चालू टैरिफ आदेश को अनुबंध का भाग मानते हुए अनुबंध के परिशिष्ट के रूप में संलग्न किया जाना है । चूंकि एक बार अनुबंध निष्पादित (Finalize) कर दिए जाने के बाद इसमें अलग से कोई परिशिष्ट अनुबंध के भाग के रूप में संलग्न नहीं किया जा सकता है, अतः यह निर्विवादित रूप से सिद्ध होता है कि संविदा मांग में आवेदित वृद्धि की स्वीकृति पश्चात् कण्डिका 7.6 (अ), (ब), (स) एवं (द) में वर्णित अनिवार्य औपचारिकताएं आवेदक द्वारा पूर्ण करने के पश्चात् ही अनावेदक अनुज्ञप्तिधारी को अनुपूरक अनुबंध Finalize किया जाना था और उसकी एक प्रति आवेदक को प्रदान करनी थी । किन्तु आवेदक द्वारा कण्डिका 7.6 (अ) एवं (ब) में वर्णित अनिवार्य औपचारिकताएं पूर्ण नहीं किए जाने पर भी, जिसकी पुष्टि अनावेदक अधिवक्ता ने स्वयं दिनांक 26.07.2019 की सुनवाई में मौखिक कथन कर की है, अनावेदक द्वारा स्थापित विधि के विरूद्ध दिनांक 27.04.2015 को अनुपूरक अनुबंध Finalize कर दिया गया और आवेदक को इसकी प्रति अपने पत्र क्र0 4018–19 दिनांक 29.04.2015 से प्रेषित की गई ।

iv) अनावेदक ने एक ओर जहां तर्क प्रस्तुत किया है कि अनुपूरक अनुबंध में प्रावधानित होने के बाद भी प्रकरण में नई/वैकल्पिक मीटरींग सहित प्रणाली में किसी परिवर्तन/परिवर्धन की आवश्यकता नहीं होने से संहिता की कण्डिका 7.7 के प्रावधानानुसार ऐसा कोई 30 दिवस अवधि का अग्रिम नोटिस जारी करने की बाध्यता अनावेदक पर नहीं थी और बढ़ाया भार औपचारिकताएं पूर्ण करने के तुरन्त बाद स्वीकार (Release) किया जाना था, वहीं दूसरी और अनावेदक अधिवक्ता ने सुनवाई दिनांक 29.06.2019 में मौखिक कथन कर निष्पादित अनुपुरक अनुबंध बिना किसी अपवाद के समग्र रूप से उभयपक्षों पर बंधनकारी होना स्वीकार किया है तथा अपने लिखित प्रस्तुतीकरण में अतिरिक्त संविदा मांग स्वीकृति पत्र एवं अनुपूरक अनुबंध में प्रावधानित शर्त अनुसार आवेदक को पत्र क्र0 4018–19 दिनांक 29.04.2015 से आवश्यक नोटिस जारी किया जाने की पुष्टि भी की है ।

उक्त सरल क्रमांक (अ) में की गई विवचेना में अनुपूरक अनुबंध के प्रभावी होने की दिनांक तय करने के लिए अनावेदक के क्षैत्र के कार्यपालन यंत्री द्वारा 30 दिवस के लिखित अग्रिम नोटिस जारी किए जाने की अनिवार्यता संबंधी अनुपूरक अनुबंध में मूल अनुबंध की कण्डिका 1(a) के स्थान पर स्थापित नई कण्डिका 1(a) वैधानिक रूप से अपने पूर्ण प्रभाव के साथ आवेदक एवं अनावेदक दोनों पर समान रूप से बंधनकारी होना सिद्ध पाया गया है, अतः अनावेदक का यह तर्क कि स्वीकृति पत्र क्रमांक 3566–67 दिनांक 16.04.2015 एवं अनुपूरक अनुबंध की एक अनिवार्य शर्त होने पर भी आवेदक को उक्त लिखित अग्रिम नोटिस जारी करने कि कोई बाध्यता संहिता की कण्डिका 7.7 के प्रावधानुसार अनावेदक पर नहीं थी, स्वीकार योग्य नहीं है ।

अनावेदक के दूसरे तर्क कि उनके द्वारा पत्र क्रमांक 4018–19 दिनांक 29.04.2015 से आवेदक को आवश्यक नोटिस जारी किया गया था के संबंध में दिनांक 29.06.2019 की सुनवाई में दिए गए लिखित प्रस्तुतीकरण के साथ प्रस्तुत इस कथित नोटिस की प्रति का अवलोकन करने से ज्ञात होता है कि यह केवल अनावेदक द्वारा Finalized Supplementary Agreement की प्रति आवेदक को प्रेषित किए जाने का मुख पत्र (Covering Letter) है और कार्यपालन यंत्री को अग्रेषित इस पत्र की प्रति में अनावेदक ने स्वयं उन्हें पत्र के साथ संलग्न प्रारूप अनुसार नोटिस आवेदक को भेजे जाने हेतु निर्देशित किया है । जिस पत्र के साथ आवेदक को भेजे जाने वाले नोटिस का प्रारूप अधीनस्थ अधिकारी को अग्रेषित किया गया हो, उसी पत्र को नोटिस माने जाने का अनावेदक का तर्क अपने आप में विरोधाभासी होकर स्वीकार योग्य नहीं है और केवल भ्रम उत्पन्न करने के लिए दिया गया है । अतः अनावेदक का यह तर्क कि निर्धारित शर्त अनुसार आवेदक को पत्र क्र0 4018–19 दिनांक 29.04.15 से नोटिस जारी कर दिया गया था सत्य नहीं पाया जाकर स्वीकार योग्य नहीं पाया जाता है, वहीं आवेदक का यह तर्क कि चूंकि स्वीकृति पत्र और अनुपूरक अनुबंध की आवश्यक शर्त के अनुपालन में अनावेदक द्वारा उन्हें 30 दिवस का कोई लिखित अग्रिम नोटिस जारी नहीं किया गया, जिससे अनुपूरक अनुबंध प्रभावशील ही नहीं हुआ, अतः इस प्रभावशील नहीं हुए अनुबंध की बढ़ी हुई संविदा मांग के न्युनतम प्रभार का भुगतान करने के लिए वे जिम्मेंदार नहीं हैं, स्वीकार योग्य पाया जाता है ।

उक्त विवेचना से निम्न निष्कर्ष प्राप्त होते हैं :–

(i) आवेदक की संविदा मांग में 250 के0व्ही0ए0 से 350 के0व्ही0ए0 की स्वीकृत वृद्धि को प्रभावशील करने के लिए अनावेदक के संबंधित क्षैत्र के कार्यपालन यंत्री द्वारा आवेदक को कम से कम 30 दिवस अवधि का लिखित रूप में अग्रिम नोटिस जारी किया जाने की अनुपूरक अनुबंध की अनिवार्य शर्त का पालन अनावेदक द्वारा नहीं किए जाने से बढ़ी हुई

संविदा मांग 350 के0व्ही0ए0, प्रभावशील होना नहीं पाया जाता है और इस कारण अनावेदक द्वारा बढ़ी हुई संविदा मांग के लिए की गई 19,02,991/– रू0 की पूरक बिलिंग निरस्त किया जाना ही न्यायोचित होगा ।

(ii) आवेदक द्वारा संहिता की कण्डिका क्र0 7.6 में वर्णित समस्त अनिवार्य औपचारिकताओं पूर्ण करने के उपरांत ही अनावेदक द्वारा अतिरिक्त संविदा मांग अनुपूरक अनुबंध Finalize किया जाना था किन्तु आवेदक द्वारा 7.6 (अ) एवं 7.6 (ब) में वर्णित औपचारिकताएं पूर्ण नहीं करने पर भी Finalize किया गया अनुपूरक अनुबंध म0प्र0 विद्युत प्रदाय संहिता 2013 के प्रावधानों के प्रतिकूल होने से प्रचलन योग्य नहीं पाया जाता और इसके आधार पर अनावेदक द्वारा बढ़ी हुई संविदा मांग के लिए पूरक विद्युत बिल के भुगतान के लिए आवेदक वैधानिक रूप से बाध्य नहीं पाया जाने से 19,02,991/– रू0 के इस पूरक बिल को निरस्त किया जाना न्यायोचित होगा ।

प्रकरण में की गई विस्तृत विवेचना तथा प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर आवेदक के उच्चदाब कनेक्शन की बढ़ी हुई संविदा मांग के लिए मई, 2015 से जनवरी, 2017 की अवधि की की गई मुख्य बिलिंग को निरस्त किए जाने संबंधी विद्युत लोकपाल के आदेश दिनांक 26.03.2018 में कोई वैधानिक त्रुटि नहीं पाई जाती है । तद्नुसार विद्युत लोकपाल द्वारा दिनांक 26.03.2018 को पारित आदेश में किए गए निर्णय को यथावत रखे जाने का निर्णय लिया जाता है । इस निर्णय के साथ ही माननीय आयोग के आदेश दिनांक 01.08.2018 का पालन होकर प्रकरण समाप्त होता है ।

उभयपक्षों को आदेश की एक निःशुल्क प्रति के साथ–साथ माननीय आयोग के आदेश दिनांक 01.08.2018 के परिपालन प्रतिवेदन स्वरूप इसकी एक प्रति सचिव, म0प्र0 विद्युत नियामक आयोग को प्रेषित हो तथा फोरम की मूल नस्ती आदेश की प्रति के साथ वापिस हो । उभयपक्ष प्रकरण में हुआ अपना अपना व्यय स्वयं वहन करेंगे ।

विद्युत लोकपाल